# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 221/2015**

1. योगेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति कम्बोज निवासी चक 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद लुधियाना पंजाब।
2. कैलाश देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति कम्बोज निवासी चक 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
   जरिये मु.खास रामलुभाया पुत्र मुंशीराम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

**बनाम**

सुरेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।

——रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
दिनांक 28.09.2015

**उपस्थिति :—**

श्री सोहनलाल जोशी, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक रेस्पों.

**निर्णय** दिनांक :— 23.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं अपीलार्थीगण/वादीगण/प्रार्थीगण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी

23/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी चक 8 एफ एफ के खाता सं. 2, मु.नं. 11 के 6.325है0 व खाता सं. नया 4 मु. नं. 42, 58, 56 प्रत्येक में 3.162है0, खाता सं. नया 79 मु.नं. 42 के 3. 162है0 व चक 26 एफ एफ के मु.नं. 26 के कि.नं. 6, 7 की 2 बीघा मु.नं. 53 के कि.नं. 1 से 12/1 की 11.04 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा तक की भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 28.09.2015 को प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर विवादित भूमि का आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैय व अन्तरण नहीं करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपख की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में संशोधन किया जावे कि रेस्पों. चक 8 एफ एफ व 13 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर की भूमि में अपीलांट के हिस्सा तक की भूमि को रहन, बैय व अन्तरण नहीं करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा अन्तरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रा.पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय होना शेष है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी.न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 28.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा विवादित आराजी चक 26 एफ.एफ. मु.नं. 26 के कि.नं. 6, 7 की 2

24/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बीघा व मु.नं. 53 के कि.नं. 1 ता 12 = 11.04 बीघा भूमि पर बेचान व अन्तरण न करे की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र दिनांक 28.09.2015 को पेश हुआ एवं इसी दिन एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जो अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका अनुसार यह दिनांक 06.06.2017 तक अवधि बढाई जाना प्रमाणित है उसके पश्चात पत्रावली इस न्यायालय में तलब की गई है, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर दूसरे पक्ष को सुना जाना अपेक्षित था जो अधी. न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रकबे के लिए जारी की है जबकि रेस्पों. का हिस्सा व उसकी locus-standai विवेचित होना अपेक्षित थी जो नहीं की तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के 3 Ingridents यथा प्रथम दृष्टया केस , अपरिमित क्षति व सुविधा का संतुलन का विवेचन भी अपेक्षित था जो नहीं करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.09.2015 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि निर्णय विधि अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर